

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 240] नई दिल्ली, शनिवार, जून 30, 1973/आषाढ़ 9, 1895

No. 240] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 30, 1973/ASADHA 9, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June 1973

S.O. 365(E).—In exercise of the powers conferred by section 73A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby directs that the following amendment shall be made in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour No. S.R.O. 279, dated the 6th February, 1952, namely:—

In the said notification, after the second proviso to paragraph 2, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that in the case of wage period commencing before and ending on or after the 30th June, 1973, the amount to be included in such wage bill, shall be such amount as bears to the wages for such wage period, the same proportion which the number of days included in the wage period from the first day of such wage period to the 30th June, 1973 (both days inclusive) bears to the total number of days in such wage period”.

[No. S-38011(2)/73-HI.]

D. S. NIM, Jt. Secy.

श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 1973

एस० प्रो० 363 (अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 73 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्देश देती है कि भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम मंत्रालय की अधि- सूचना सं० का० नि० आ० 279, तारीख 6 फरवरी, 1952 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 के द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और भी कि 30 जून, 1973 से पहले आरम्भ होने वाली और उस तारीख को या उसके पश्चात् समाप्त होने वाली मजदूरी कालावधि की दशा में, ऐसे मजदूरी बिल में सम्मिलित की जाने वाली रकम ऐसी होगी जिसका अनुपात उस मजदूरी कालावधि की मजदूरी के से बही होगा जो ऐसी मजदूरी कालावधि के पहले दिन से 30 जून, 1973 (दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए), तक की मजदूरी कालावधि में सम्मिलित दिनों की संख्या का उस मजदूरी कालावधि के पूरे दिनों की संख्या से हो” ।

[एस-38-11 (2)/73-एच आई]

डी० एस० निम, संयुक्त सचिव ।